कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना (म0प्र0)
संक्षिप्त द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना कमांक 5/13–14 दिनांक 27–4–2013

मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न लिखित कार्यो हेतु नवीन एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदायें प्रपत्र 'अ' पर ग्रुपवार दिनांक 14–5–2013 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं एवं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी । उक्त कार्य हेतु दरे प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म0प्र0 भोपाल के एस.ओ.आर. जो दिनांक 20.3.2013 से प्रभावशील है, अभी तक संशोधनों सहित मान्य होगा । कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 13–5–2013 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है ।

क0	ग्रुप	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत रू0 लाखमें	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		पन्ना जिले के निम्न विकास खण्डों के अन्तर्गत हैण्ड पम्पों के चारो ओर यूनिसेफ ड्राइग डिजाइन के अनुसार प्लेटफार्मो का निर्माण कार्य एवं ग्राउन्टिंग, ड्रेनेज, साकेजपिट, इत्यादि कार्य सहित ।						
	डब्लू–1	विकासखंड पवई	100	5.40	10800.00	2000.00	तदैव	तीन माह
	एस–1	विकासखंड शाहनगर	100	5.40	10800.00	2000.00	तदैव	तीन माह

कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 13–5–2013 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है । उक्त तिथि के बाद प्रपत्र प्रदाय नही किये जावेगें । कोरे निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने हेतु रू0 100.00 अतिरिक्त जमा करना होगा, किन्तु डाक द्वारा देरी होने या गुम हो जाने पर विभाग उत्तरदायी नही होगा । प्राप्त निविदायें दिनांक 14–5–2013 को 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों या अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी ।

अन्य शर्ते :–

(1) सशर्त निविदा किसी प्रकार से मान्य नही होगी ।
(2) निविदा प्रपत्र वही ठेकेदार ले सकते है जिन्होने कार्यालय द्वारा पूर्व आवंटित कार्य यदि कोई हो तो पूर्ण किये हो ।
(3) धरोहर राशि एफ0डी0आर0,टी0डी0आर0,एवं एन0एस0सी0 द्वारा ही मान्य की जावेगी ।

(4) बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
(5) कार्य स्थल का निरीक्षण एवं अन्य वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पवई/पन्ना से निविदा प्राप्त करने के पूर्व सम्पर्क कर सकते है।
(6) भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जाना संभव होगा ।
(7) आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–
   1. ठेकेदार/फर्म का आयकर चुकारा प्रमाण पत्र वर्ष 2012–13एवं पेन कार्ड की छायाप्रति ।
   2. विभाग में कार्यरत रिश्तेदारों की सूची ।
   3. विभाग में किये गये कार्यो की सूची ।
   4. जीवित पंजीयन की प्रति ।
(8) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा की वैधता अवधि 120 दिन होगी ।
(9) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ वैध्य पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा । साल्वेंसी पर आधारित पंजीकृत ठेकेदारों को वैध्य साल्वेंसी प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जा सकेगा।
(10) प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र प्रदाय किए जावेंगे । प्रत्येक समूह की निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक–पृथक एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी, जोकि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के पक्ष में देय हो । बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
(11) ठेकेदार को सभी निर्माण सामग्री की व्यवस्था स्वयं करना है तथा स्वयं के व्यय से कार्य स्थल तक पहुंचाना है । इसके लिए अलग से परिवहन राशि आदि को कोई प्रावधान नहीं है ।
(12) कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है ।
(13) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2006 के अनुसार वर्क्स कांट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वेट की कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी एवं प्रपत्र 32 में प्रमाण पत्र दिया जावेगा । निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना अनिवार्य है (टिन नम्बर), अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
(14) म0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत निविदाकार को इस विभाग द्वारा चिन्हांकित रजिस्ट्रीकरण कर्ता अधिकारी के यहां पंजीयन कराना आव यक है । पंजीयन न होने की दशा में अनुबंध के पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । की धारा 2 के तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर की कटौती देयकों से की जावेगी, जो वापसी योग्य नहीं है । मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार एक प्रतिशत उपकर ठेकेदार के देयक से काटा जावेगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा ।
(15) प्लेटफार्म बनाने के पूर्व उक्त प्लेटफार्म की फोटो ग्राफ सरपंच/प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में इसी तरह बनाने के बाद भी सरपंच/शाला का प्रधानाध्यापक के प्लेटफार्म का फोटोग्राफ आवश्यक होगा । इसके लिये विभाग अलग से कोई भुगतान नही करेगा ।
(16) प्लेटफार्म बनाये जाने का सरपंच/पंच/प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
(17) प्लेटफार्म निर्माण के समय सामग्री एवं कंक्रीटिंग की गुणवत्ता आई.एस. 456/2000 में उल्लेखित मापदण्ड के अनुसार होना चाहिए ।
(18) यूनीसेफ डिजाइन–ड्राइंग के अनुसार ड्रेन, सोकेज पिट बनाना अनिवार्य है ।
(19) प्लेट फार्मो में लगने वाली सामग्री का परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। परीक्षण रिपोर्ट नहीं लगाये जाने पर देयक से अर्थदण्ड के रूप में रू0 1000.00 की कटौती की जावेगी।
(20) उक्त कार्य हेतु औजार एवं संयंत्र विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किए जाएंगे ।

(21) निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों की सकल मजदूरी भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा, इसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।
(22) देयक के साथ एजेंसी द्वारा मजदूरी भुगतान संबंधी पंचनामा अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
(23) किसी भी परिस्थिति में मूल्य वृद्धि (एस्केलेशन) देय नहीं होगा ।
(24) अमानत राशि कार्य कार्य मैन्युअल के अनुसार जमा करनी होगी । बैंक गारंटी मान्य नहीं की जावेगी ।
(25) उक्त निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण इस कार्यालय में एवं विभागीय वेबसाइट www.mpphed.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)

पृ0क0/ 1520 /वलेलि0/का0यं0/लोस्वायां0/खण्ड/13 पन्ना दिनांक : 27.4.13
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य ंत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. कमिश्नर, सागर संभाग सागर ।
4. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
5. कलेक्टर जिला पन्ना ।
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/छतरपुर/ टीकमगढ/सागर/ दमोह
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पन्ना/छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पन्ना/छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
9. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पवई/पन्ना
10. ~~एन0आई0सी0 पन्ना~~
10. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ, पन्ना, म0प्र0
11. सूचना पट

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)